POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! अमूमन यह सामने आता है कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले जनता से कई वादे करते हैं। उनमें कई वादे ऐसे भी होते हैं जो आसानी से और तत्काल पूरे नहीं किए जा सकते।

जैसे भ्रष्टाचार और महंगाई पर रोक लगाने का वादा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो महत्वाकांक्षी जन-धन योजना की शुरुआत की है, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़े मकसद को पूरा करने वाली योजना साबित होगी।

इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य गरीबों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हुए आर्थिक छुआछूत को खत्म करना है। योजना के तहत मोदी देश के हर परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खुलवाकर देश की आर्थिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी चाहते हैं। शुरुआत में खाता खोलने वालों के लिए सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और सही रूप से खाते का संचालन करने पर ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाओं का पिटारा खोला गया है। सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की राशि सीधे इन बैंक खातों में जमा हो सकेगी।

जैसे ही इस योजना का शुभारंभ किया गया, आमजन में बैंक खाता खोलने की होड़ सी लगी है। इन करोड़ों खातों के जरिए देश की आर्थिक सेहत में जो इजाफा होगा, उससे कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ देशवासियों को मिल सकेंगे।

'सबका साथ और सबका विकास' के नारे के साथ शुरू की गई यह योजना यदि पूरी तरह कामयाब होती है तो गरीबों को सशक्त बनाने के साथ-साथ देश के अभूतपूर्व विकास में 'मील का पत्थर' साबित होगी।

मां-बाप अपराधी

कोर्ट ने लड़की के माता-पिता को फटकार लगाई। कहा, उन्होंने भी गंभीर अपराध किया है। ससुराल पक्ष ही नहीं, बल्कि बच्ची के खुद माता-पिता की ओर से भी यह बच्ची के खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे विभत्स स्वरूप है।

बाल विवाह दुष्कर्म से भी बदतर

हाल ही दिल्ली की एक अदालत ने बाल विवाह को दुष्कर्म से भी बदतर बताया और कहा कि यह समाज से जड़ से खत्म होनी चाहिए। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शालिनी चौहान ने उन माता-पिता के खिलाफ ही केस दर्ज करने के आदेश दिए, जिन्होंने कम उम्र में अपनी बेटी की शादी की। उन्होंने ही बेटी के ससुराल पक्ष और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

मजिस्ट्रेट चौहान ने कहा, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी दंडनीय अपराध है। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम कानून और दहेज निषेध कानून के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

ससुराल वालों के खिलाफ मामला पहले से ही दर्ज है। लड़की के माता-पिता की शिकायत के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2011 में 14-15 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने ससुराल वालों को साढ़े तीन लाख रुपए दिए थे।

ऐसे खत्म होगी जड़

मजिस्ट्रेट चौहान ने कहा, बाल विवाह तब तक जड़ से खत्म नहीं होगा, जब तक सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई न करे। बुराई होती रहे और कोर्ट मूक दर्शक बनकर बैठा रहे, यह नहीं हो सकता।

कॉलेज पर भारी पड़ा छात्र को परीक्षा में नहीं बिठाना

डॉ. राधाकृष्णन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के छात्र महेन्द्र कुमार शर्मा ने जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (द्वितीय) में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2012-13 में वह डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस में द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसकी 22 अप्रेल 2013 से परीक्षाएं शुरू हुई और उसने तीन पेपरों की परीक्षा दे दी थी, लेकिन 27 अप्रेल 2013 को परीक्षा केन्द्र पर उसे यह कह कर परीक्षा देने से रोक दिया गया कि उसकी फीस बाकी है।

उसने कॉलेज प्रशासन को बताया कि 16 अक्टूबर 2012 को कॉलेज फीस व बस फीस सहित कुल 27 हजार रुपए जमा करा दिए थे। इसके बावजूद कॉलेज के प्रिंसिपॅल ने कहा कि वह कॉलेज चेयरमैन की अनुमति से ही परीक्षा में बैठ सकता है। इसपर उसने कॉलेज चेयरमैन से परीक्षा में बैठने की अनुमति भी ले ली, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपॅल और परीक्षा अधीक्षक ने उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच जयपुर (द्वितीय) ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज प्रशासन को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए डॉ. राधाकृष्णन पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को आदेश दिया कि महेन्द्र कुमार शर्मा को 50 हजार रुपए का हर्जाना एक माह की अवधि के भीतर अदा करें।

बिना भौतिक सत्यापन मिलेगी पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने जून से सितम्बर तक की पेंशन बिना भौतिक सत्यापन के जारी करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों व कोषाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

हालांकि जिन पेशनधारियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, उन्हें रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से कराए जा रहे भौतिक सत्यापन के कारण जून 2014 से पेंशन नहीं मिल रही है।

गांवों के लिए खुलेगा खजाना

अगले पांच साल में गांवों के विकास पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के गांवों का काया-कल्प करने के लिए योजना बनाई है। यह राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से खर्च की जाएगी। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में गांवों को विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा पाया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया खुद गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पांच साल में प्रदेश की सभी पंचायतों के सर्वांगीण विकास पर यह राशि खर्च की जाएगी।

लिखना होगा-कहां जा रहे हैं, कब आएंगे

राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि अब ग्राम पंचायत में कार्यरत सरपंच, ग्राम सेवक और लिपिक कार्यालय समय में कहीं जाते हैं तो उन्हें पंचायत के बाहर बोर्ड पर लिखना होगा कि वे कहां गए हैं और कब तक वापस आ जाएंगे। यदि इनमें से बिना बताए कोई भी गायब रहा तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

सरकार को आए दिन सरपंच, ग्राम सेवक और लिपिक के बिना बताए गायब होने की शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे में पंचायत कार्यालयों पर ताले लटके रहते हैं और गांव वाले काम के लिए भटकते रहते हैं। इससे निपटने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं।

कॉलेज छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग (गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार, रेबारी, राइका) के लिए देव नारायण योजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इसके तहत राजस्थान बोर्ड परीक्षा में मैरिट के आधार पर राजकीय कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी दी जाएगी।

स्कूटी के लिए सीनियर सैकण्ड्री बोर्ड परीक्षा में मैरिट के आधार पर छात्राओं का राजकीय कॉलेजों में नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी होगा। ऐसी 1000 छात्राओं को हर साल निःशुल्क स्कूटी मिलेगी। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग को 4 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

कहां जाता है विकास का पैसा?

हमारे सिस्टम में सब जगह लीकेज (भ्रष्टाचार) है। सरकार विकास के लिए ऊपर से जो पैसा डालती है वह नीचे से लीक हो जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने पाली जिले में आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि पाली जिले के ग्रामीण विकास के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जितना विकास कराना चाहते हो करवाएं। विकास में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन दुःख होता है जितना पैसा दिया जाता है उतना विकास में लग नहीं पाता। पैसा कहां जाता है कोई नहीं जान पाता। हिन्दुस्तान से यह बीमारी खत्म हो जाए तो देश की तस्वीर दस साल में बदल सकती है।

मुर्दों ने की मजदूरी और उठाया भुगतान

जो दुनिया छोड़ गए लेकिन मजदूरी करने आए और अपना मेहनताना भी लेते रहे। कागजों में मनरेगा के तहत उनकी उपस्थिति दिखाकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया।

उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के छाली पंचायत के रिकॉर्ड देखें तो यह

माना जाएगा कि मरने के बाद भी लोग काम करते हैं।

इनमें चन्ना, उमरिया निवासी लसूड़ी और हेमा जैसे कई मजदूर वर्ष 2010 से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने उनसे मजदूरी करवाने से गुरेज नहीं किया।

उनके नाम से उपस्थिति दिखा कर भुगतान उठाया गया। गांव वालों का कहना है कि इस तरह दर्जनों मृत लोगों को मनरेगा में काम पर दिखाकर लाखों रुपए उठा लिए गए। प्रारम्भिक जांच में सरपंच रामसिंह सहित सचिव, रोजगार सहायक सवाराम भील तथा दो मेट दोषी पाए गए हैं।

नहीं मिल रहे मसाले और दाल

गरीबों को बाजार से कम दर पर चाय, मसाले, दालें और नमक सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन खाद्य एवं आपूर्ति निगम का गठन किया गया था। इसके माध्यम से सीधे कंपनियों से सामान खरीद कर राशन की दुकानों पर राज ब्राण्ड के नाम से आमजन को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना था।

शुरुआत में यह योजना खूब परवान चढ़ी, लेकिन पिछली सरकार के जाते ही यह सामान मिलना बन्द हो गया। कहा जा रहा है कि निगम ने दुकानों पर सामान की आपूर्ति बंद कर दी। निगम के अधिकारी भी अब इस बारे में साफ जानकारी देने से कतरा रहे हैं।

महंगाई और भ्रष्टाचार

देश की जनता के लिए महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों को केन्द्र व प्रदेश में बनी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सभी का मानना है कि भाजपा अपने वादों पर खरी उतरेगी। जनता अब आहत होने लगी है। लोगों का कहना है कि सरकार ने अभी तक मंहगाई व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं किया। बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई ने गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है।

प्रदेश में राशन की दुकानों से गरीबों को समय पर खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं भी नहीं मिल रही। कुपोषण गरीबों के जीवन को लील रहा है। अब राज्य सरकार राशन की दुकानों को भी निजी हाथों में सौंपने जा रही है। क्या इससे गरीबों का भला हो सकेगा?

- रघुवीर शरण भारद्वाज, भरतपुर

नहीं मिला सौ दिन का रोजगार

नए वित्तीय वर्ष के पांच महीने गुजर चुके हैं, लेकिन प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक भी परिवार को अभी तक 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया है। यही नहीं, प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस भी अभी सिर्फ 11 दिन ही पहुंच पाया है। इस वित्तीय वर्ष में अगस्त तक 3 लाख 2 हजार परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है।

पिछले तीन सालों में मनरेगा में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2.85 लाख से लेकर 4.46 लाख तक रही थी। यदि मनरेगा काम की गति यही रही तो इस बार 4 लाख का आंकड़ा पाना मुश्किल हो सकता है। मनरेगा में काम करने वालों की कम हो रही रुचि भी इसका कारण है।

पेड़-पौधों का भी खुला अस्पताल

जयपुर जिले में जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में जिले का प्लान्ट हैल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस क्लीनिक में कृषि अनुसंधान, फसलों को रोगों से बचाने और भूमि की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में अनुसंधान किया जाएगा।

यही नहीं, क्लिनिक के जरिए किसानों की खेती से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही हो जाएगा।

विभाग के प्रोफेसर कायम सिंह शेखावत व प्रोफेसर ए.के. पाठक ने बताया कि फसलों के रोग, कीट, भूमि उर्वरता से संबंधित हर समस्या का समाधान किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक टोल फ्री नम्बर जल्द जारी किया जाएगा। यहां सिंगल विंडो सुविधा तथा कृषि सूचना केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

CUTS International

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485